CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

क्रमांकः छगस्वावितवि/2016/2184 दिनॉकः10/8/2016

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त सम्बन्धित संस्थाएँ

विषय : सत्र् 2016–17 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय में नामाकंन के संबंध में।

महोदय्

विषयांतर्गत ज्ञात हो कि वर्तमान सत्र् 2016–17 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का नामांकन विश्वविद्यालय में होना है । इस संबंध में महाविद्यालय से यह अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थियों के नामांकन फार्म का प्रिंट–आउट सभी जानकारियों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुव्यवस्थित रूप से संलग्न कर परीक्षण उपरान्त ही दिनांक **5 सितंबर 2016** तक विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करें। किसी भी त्रुटि के लिये स्वयं संबंधित महाविद्यालय जिम्मेदार होगा अतः हस्ताक्षर करने के पूर्व प्राचार्य स्वयं त्रुटि शून्यता को सुनिश्चित कर लेवें ।

इस सत्र् से विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया ऑनलाईन (Online) प्रारंभ की जा रही है, विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.csvtu.ac.in में दिए गए Enrollment Form 2016 लिंक के माध्यम से ऑनलाईन (Online) नामांकन फार्म भरे जाने हैं, जो दिनांक **19 अगस्त 2016 से 31 अगस्त 2016** तक उपलब्ध रहेगा।

विश्वविद्यालय से संबंद्ध समस्त महाविद्यालय ऑनलाईन (Online) नामांकन फार्म की प्रक्रिया के संबंध में छात्र छात्राओं को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें।

नामांकन फार्म से संबंधित समस्त जानकारियों से विद्यार्थियों को अवगत करायें ।

संलग्न : 1. नियमावली ।

कुलसचिव
9-8-16
(छगस्वावितवि,भिलाई)

प्रतिलिपिः

1. निज सचिव, माननीय कुलपति महोदय
2. मास्टर फाइल

North Park Avenue, Sector-8, Bhilai (C.G.) 490 009
Ph. No. : 0788-2261311, Fax No. : 0788-2261411, Website : www.csvtu.ac.in, E-mail : registrar@csvtu.ac.in

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY, BHILAI
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

नामाकंन फार्म विश्वविद्यालय भेजने के आवश्यक दिशा निर्देश
****

1. नामांकन फार्म में संस्था के प्राचार्य के **हस्ताक्षर एवं मोहर** होना अनिवार्य है।

2. नामांकन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की **सत्यापित प्रतिलिपि** अनिवार्य रूप से संलग्न करें ।

   (i) 10 वीं अंकसूची की **सत्यापित प्रतिलिपि** ।

   (ii) निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंकसूची की **सत्यापित प्रतिलिपि**।

   (iii) स्कोर कार्ड (PET, JEE Main, PPT, PPHT, Pre MCA, NIMCET, GATE, GPAT, CMAT, MAT,CAT,JMET,XAT,ATMA, NATA) की **सत्यापित प्रतिलिपि** ।

   (iv) निवासी प्रमाण पत्र (**Domicile Certificate)** सत्यापित प्रतिलिपि (यदि लागू हो)।

   (v) प्रवेश का DTE द्वारा जारी किया गया Receipt-Cum-Acknowledgment of Confirmation of Admission संस्था के प्राचार्य से सत्यापित ।

   (vi) स्थाई या उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र **(SC,ST,OBC)** एवं छ.ग. निवासी प्रमाण पत्र **(CG Domicile)** अनिवार्य रूप से संलग्न करें (यदि लागू हो)।

   (vii) यदि विद्यार्थी छत्तीसगढ़ बोर्ड के अलावा अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से इस विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता हैं तो **ओरिजनल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Original Migration Certificate)** ।

   (viii) वर्तमान शिक्षा सत्र में प्रवेश लेने के पूर्व पढ़ाई में अंतराल **(Gap)** हुआ हो तो **ओरिजनल गेप सर्टिफिकेट (Original Gap Certificate)** ।

3 यदि विद्यार्थी का नामांकन पूर्व में इस विश्वविद्यालय में हो चुका था परंतु उसने अपना **प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate)** विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया है, या Migration Certificate के लिए आवेदन किया है ऐसे विद्यार्थी को पुनः इस विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए **ओरिजनल प्रवजन प्रमाण–पत्र (Original Migration Certificate)** ।

4 आवश्यकता पड़ने पर सभी मूल प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।

5 विभिन्न पार्ट टाइम कोर्स में प्रवेश के लिए दो वर्ष का **अनुभव प्रमाण पत्र** (**निर्धारित योग्यता के उपरांत**), **वर्तमान संस्था में कार्य करने का प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र** अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा ।

North Park Avenue, Sector-8, Bhilai (C.G.) 490 009
Ph. No. : 0788-2261311, Fax No. : 0788-2261411, Website : www.csvtu.ac.in, E-mail : registrar@csvtu.ac.in

6 ऑनलाइन सिस्टम से संस्था के नामाकंन फार्म संबंधी रिपोर्ट (पाठ्यक्रमवार एवं ब्रांचवार) लेकर नामाकंन शुल्क का चालान **प्रत्येक कोर्स के लिए** अलग–अलग तथा उतने ही राशि का बनाया जावे जितने विद्यार्थियों के नामांकन फार्म भेजे जा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक राशि के चालान को किसी भी तरह से समायोजित एवं वापस नहीं किया जायेगा।

7 उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने वाले महाविद्यालयों द्वारा प्रेशित नामाकंन फार्म विश्वद्यिालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगें।

टीपः– महाविद्यालय व विद्यार्थी नामांकन फार्म भरने के पश्चात् भरे हुए नामंकन फार्म का प्रिंट–आउट अवश्य सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की त्रुटि सुधार हेतु नामंकन फार्म के प्रिंट–आउट को विश्वविद्यालय प्रेषित करें।

Registrar
(CSVTU,Bhilai)